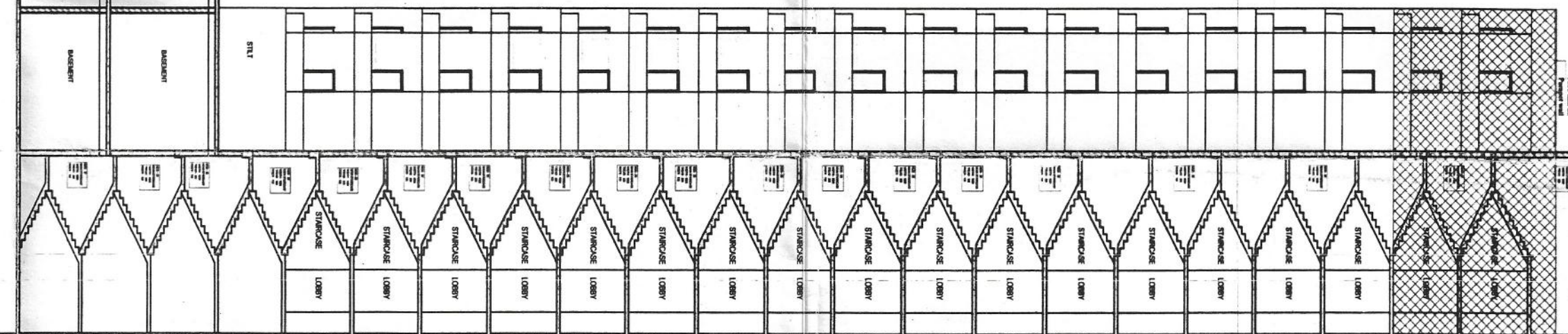


संशोधक अभियन्ता  
मानविक अनुभाग  
अंतर ज्ञान-शा  
मानविक अनुभाग

मन्त्रादिना गण्डे पर स्वीकृत मनीषिभिः कृतं  
मन्त्रादिना गण्डे पर स्वीकृत मनीषिभिः कृतं

यह मानसिक स्वीकृति से केवल पाँच एवं तक वैध है।  
 ४. ग्रुथिष्ठानो एवं उनसे कायस्थ श्रमिका का श्रेण विभा-  
 के निश्चिन्नुसार श्रेणीयत कायस्थ लाभ आदयक है।”



|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Printed

16